कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये 01.10.2015 से 31.03.2016

की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक 4 (सी) 3–88–16–ए, दिनांक 12.09.1989 (राजपत्र दिनांक 14.09.1989) के अन्तर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्ध किया गया है।

कृषि नियोजन में जनवरी 2015 से जून 2015 की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतएव श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर के अधिसूचना **क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2015/2010, दिनांक 24.03.2015** द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी दरें न्यूनतम वेतन प्रतिमाह 603.90 रूपये प्रतिदिन 20.13 रूपये, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता प्रतिमाह 4101.00 रूपये प्रतिदिन 136.70 रूपये अर्थात् कुल वेतन प्रतिमाह 4704.90 रूपये एवं प्रतिदिन 156.83 (157) रूपये दिनांक **01.10.2015 से 31.03.2016** की अवधि में भी प्रभावशील रहेगी।

26/9/15

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर